



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275222
CG-DL-E-05082026-275222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4076]
No. 4076]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4252(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3210 (अ) तारीख 14 जुलाई, 2025 जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 जुलाई, 2025 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की भूमि में जिसका माप 295 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 728.94 एकड़ (लगभग) क्षेत्रफल वाली भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला प्राप्त किया जा सकता है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अनुसूची में वर्णित 295 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 728.94 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर अथवा उसमें निहित सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांकन संख्या: सी-1(ई)/III/जेजेआर/0126/1035, तारीख 21 जनवरी, 2026 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला

नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, पांचवी मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली – 110051 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2: उपरोक्त अधिनियम की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियाँ.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना संख्या का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

मुंगोली निरगुडा गहरी खुली खुदाई खदान का उत्तरी विस्तार

वणी क्षेत्र,

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)

(रेखांकन संख्या: सी-1(ई)/III/जेजेआर/0126/1035, तारीख 21 जनवरी, 2026)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन			कुल (हेक्टेयर में)	अभियुक्तियाँ
				कास्तकारी	सरकारी	वन		
1	शिवनी	वणी	यवतमाल	93.71	23.65	0.00	117.36	भाग
2	चिंचोली	वणी	यवतमाल	161.89	11.29	0.00	173.18	भाग
3	साखरा	वणी	यवतमाल	4.46	0.00	0.00	4.46	भाग
उप-योग				260.06	34.94	0.00	295.00	

कुल क्षेत्र = 295.00 हेक्टेयर (लगभग) या 728.94 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम शिवनी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ:

कास्तकारी भूमि:

3, 5, 6, 7, 8, 207, 208, 210, 211, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253.

सरकारी भूमि: 4,209, आबादी भूमि, नाला, सड़क .

2. ग्राम चिंचोली में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ:

कास्तकारी भूमि:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

सरकारी भूमि: 11, आबादी भूमि, सड़क, नाला.

3. ग्राम साखरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ:

कास्तकारी भूमि: 194, 195.

सीमा वर्णन:

खंड- I

क-ख : रेखा ग्राम चिंचोली के बिंदु 'क' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है तथा ग्राम चिंचोली की सीमा पर स्थित बिंदु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग : रेखा ग्राम चिंचोली के बिंदु 'ख' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में जाती है तथा ग्राम चिंचोली की सीमा पर स्थित बिंदु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ : रेखा बिंदु 'ग' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है तथा ग्राम चिंचोली की सीमा पर स्थित बिंदु 'घ' पर मिलती है।

- घ-ङ : रेखा बिंदु 'घ' से आरंभ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा में जाती है तथा ग्राम चिंचोली की सीमा पर स्थित बिंदु 'ङ' पर मिलती है।
- ङ-च : रेखा बिंदु 'ङ' से आरंभ होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है तथा ग्राम चिंचोली की सीमा पर स्थित बिंदु 'च' पर मिलती है।
- च-छ : रेखा बिंदु 'च' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में जाती है तथा ग्राम शिवनी की सीमा पर स्थित बिंदु 'छ' पर मिलती है।
- छ-ज : रेखा बिंदु 'छ' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा में जाती है तथा ग्राम शिवनी की सीमा पर स्थित बिंदु 'ज' पर मिलती है।
- ज-झ : रेखा बिंदु 'ज' से आरंभ होती है और निरगुडा नाला नाला के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में जाती है तथा ग्राम शिवनी की सीमा पर स्थित बिंदु 'झ' पर मिलती है।
- झ-ञ : रेखा बिंदु 'झ' से आरंभ होती है और निरगुडा नाला को पार करते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में जाती है तथा बिंदु 'ञ' पर मिलती है।
- ञ-ट : रेखा बिंदु 'ञ' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में जाती है तथा ग्राम शिवनी की सीमा पर स्थित बिंदु 'ट' पर मिलती है।
- ट-ठ : रेखा बिंदु 'ट' से आरंभ होती है और ग्राम शिवनी आबादी भूमि से होकर उत्तर दिशा में जाती है तथा ग्राम शिवनी एवं ग्राम चिंचोली की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ठ' पर मिलती है।
- ठ-क : रेखा बिंदु 'ठ' से आरंभ होती है और ग्राम शिवनी एवं ग्राम चिंचोली दोनों ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व दिशा में जाती है तथा प्रारंभिक बिंदु 'क' पर मिलती है।

खंड- II

- ड-ढ : रेखा, ग्राम साखरा के बिंदु 'ड' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा में अग्रसर होती है, तथा ग्राम साखरा की सीमा पर बिंदु 'ढ' पर मिलती है।
- ढ-ण : रेखा, बिंदु 'ढ' से आरंभ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा में अग्रसर होती है, तथा बिंदु 'ण' पर मिलती है।
- ण-त : रेखा, बिंदु 'ण' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में अग्रसर होती है, तथा बिंदु 'त' पर मिलती है।
- त-ड : रेखा, ग्राम साखरा के बिंदु 'त' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिम दिशा में अग्रसर होती है, तथा ग्राम साखरा की सीमा पर प्रारंभिक बिंदु 'ड' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/6/2025-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4252(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 3210(E), dated the 14th July, 2025 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th July, 2025, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 295 hectares (approximately) or 728.94 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to the said notification ;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 295 hectares (approximately) or 728.94 acres (approximately) with all rights in or over the said land as described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-I(E)/III/JJR/0126/1035, dated the 21st January, 2026 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Yavatmal (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, New Delhi-110051 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur, (Maharashtra)-440001.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows: -

“8. Objections to acquisition. - (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation:- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core 2, Laxmi Nagar, Delhi 110092, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519 dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Northern Extension of Mungoli Nirguda Deep Open Cast Mine

Wani Area

District Yavatmal (Maharashtra)

[Plan bearing number: C-I(E)/III/JJR/0126/1035, dated the 21st January, 2026]

All Rights:

Sr. No.	Name of Village	Tahsil	District	Description of land				Remarks
				Tenancy	Government	Forest	Total (in Hectare)	
1	Shivni	Wani	Yavatmal	93.71	23.65	0.00	117.36	Part
2	Chincholi	Wani	Yavatmal	161.89	11.29	0.00	173.18	Part
3	Sakhara	Wani	Yavatmal	4.46	0.00	0.00	4.46	Part
Sub Total				260.06	34.94	0.00	295.00	

Total Area: 295.00 hectares (approximately) or 728.94 acres (approximately)

1. Plot number within notification boundary in village Shivni:

Tenancy Land:

3, 5, 6, 7, 8, 207, 208, 210, 211, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253.

Government Land: 4, 209, Abadi land, Nallah, Road.

2. Plot number within notification boundary in village Chincholi:

Tenancy Land:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

Government Land: 11, Abadi land, Road, Nallah.

3. Plot number within notification boundary in village Sakhara:

Tenancy Land: 194,195.

BOUNDARY DESCRIPTION:

BLOCK – I

A-B: Line starts from point 'A' at village Chincholi and passes towards North-West direction, meets at point 'B' at Chincholi village.

B-C: Line starts from point 'B' at village Chincholi, passes towards West direction meets at point 'C' at Chincholi village.

C-D: Line starts from point 'C' and passes towards South-West direction, meets at point 'D' at Chincholi village.

D-E: Line starts from point 'D' and passes towards South-East direction, meets at point 'E' at Chincholi village.

E-F: Line starts from Point 'E' and passes towards South-West direction, meets at point 'F' at Chincholi village.

F-G: Line starts from Point 'F' and passes towards West direction, meets at point 'G' at Shivni village.

G-H: Line starts from point 'G' and passes towards South direction, meets at point 'H' at Shivni village.

H-I: Line starts from point 'H' and passes towards South-East direction along with Nirguda Nallah, meets at point 'I' at Shivni village,

I-J: Line starts from point 'I' and passes towards South-East direction of Shivni village, and crosses Nirguda Nallah and meets at point 'J'.

J-K: Line starts from point 'J' and passes towards East direction, meets at point 'K' of Shivni village.

K-L: Line starts from point 'K' at Shivni village towards North direction, and Abadi land of Shivni village and meets at point 'L' common village boundary of Shivni and Chincholi.

L-A: Line starts from point 'L' passes towards North-East direction, along the common village boundary between Shivni and Chincholi, and meets point at initial 'A'.

BLOCK – II

M-N: Line starts from point 'M' of village Sakhara and passes towards South direction, meets at point 'N' on the boundary of village Sakhara.

N-O: Line starts from point 'N' and passes towards South-East direction, meets at point 'O'.

O-P: Line starts from point 'O' and passes towards North direction, meets at point 'P'.

P-M: Line starts from point 'P' and passes towards North-West direction, meets at initial point 'M'.

[F. No. 43015/6/2025-LAIR]

Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.